

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय] भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Email: dpc-medhq@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in

A-33013/10/2024-DPC(M) (Comp. No. 1011867)

Date: 20/05/2025

कार्यालय आदेश संख्या: 04/2025

विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, क.रा.बी.नि. ने विशेषज्ञ उप संवर्ग (Specialist Sub cadre) में, राज्य सरकार से आमेलित (Absorbed), वेतनमान लेवल-13 में विशेषज्ञ ग्रेड-1 (Specialist Grade-I) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को वेतनमान लेवल-14 में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Senior Administrative Grade) विशेषज्ञ पद पर, दर्शाई गई तिथियों के अनुसार पदोन्नति (अविभावी प्रावधान/ योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए है:-

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Chairman, ESIC has ordered promotion under the DACP scheme of the following Medical officers absorbed from State Government in Specialist Sub-cadre working as Specialist Grade-I in the level 13 of pay matrix to the post of Senior Administrative Grade (Specialist) in the level 14 of pay matrix (under prevailing Provisions/Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date(s) shown against their names:

Sl. No.	Name (Dr.) and (ID No.)	Place of posting	Recommend ed date of Promotion
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Ajay Saran Sahai (121440)	ESICH, Jaipur	02/01/2017
2.	P.K. Choudhary (121438)	ESICH, Jaipur	02/01/2017
3.	Lalit Kumar Punjabi (121445)	ESICH, Jaipur	02/01/2017
4.	Raj Shri Shah (121441)	ESICH, Jaipur	02/01/2017
5.	Ratan Chaudhary (121466)	ESICH, Jaipur	02/01/2017
6.	Amish V Tank (113655)	ESICH, Bapunagar	01/04/2017
7.	Nitabali A Patel (113823)	ESICH, Bapunagar	01/04/2017
8.	Balraj N Solanki (113672)	ESICH, Bapunagar	01/04/2017
9.	Harshad K. Makwana (117866)	ESICH, Bapunagar	01/04/2017
10.	Kamlesh N. Shah (113770)	ESICH, Bapunagar	01/04/2017
11.	Prabhu Dayal Sharma (121444)	ESICH, Udaipur	01/04/2018
12.	Rakesh Kumar Meena (121451)	ESICH, Udaipur	01/04/2018
13.	Surekha Ganesh Autee (120988)	ESICH, Bibvewadi	02/07/2022

तालिका-अ (Table-A)

It may be noted:

 विशेषज्ञ उप संवर्ग में वे चिकित्सा अधिकारी, जो पदोन्नति की तारीख पर नियमित छुट्टी/ अध्ययन छुट्टी/प्रतिनियुक्ति/बाहय कार्य इत्यादि पर होने के समय उच्चतर स्केल में पदोन्नत हुए हैं, के मामले में, वास्तविक पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उनके लौटने तक उन्हें कल्पित पदोन्नत किया जाएगा। In the event of a Medical Officer in Specialist Sub-Cadre who is promoted in the higher scale, being on regular leave / study leave / deputation / foreign assignment etc. on the date of the promotion, the actual promotion shall take effect from the date she/he assumes charge and notional promotion from the date of promotion.

2. चिकित्सा आधिकारी के वर्तमान तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि डी. ए.सी.पी. की तिथि पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा आधार/अध्ययन के प्रयोजन के अतिरिक्त उपभोग की गई असाधारण छुट्टी (यदि कोई) की अवधि को छोड़ कर विशेषज्ञ ग्रेड-1 में (विशेषज्ञ -उप संवर्ग) में 7 वर्षों की सेवा पूरी की जा चुकी है। इसका विवरण क.रा.बी.निगम मुख्यालय को भी सूचित किया जाए।

The controlling officers of the Medical Officers (at the present place of posting) granted DACP shall ensure that the Medical Officer has completed 7 years' service in the grade of Specialist Grade-I in Specialist sub cadre after excluding the non-qualifying service period (if any) on account of dies-non and EOL availed other than on Medical Grounds/Study purposes. The details of such cases may also be reported to ESIC Hqrs.

3. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन चिकित्सा अधिकारियों ने आमेलन के समय संस्थागत वरिष्ठता का विकल्प चुना है, उन्हें 174वीं बैठक में निगम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 01.06.2018 (जहां भी लागू हो) से डीएसीपी का वितीय लाभ प्रदान किया जाए, जिसमें प्रत्येक नाम के सामने तालिका में उल्लिखित तिथियों से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विशेषज्ञ) के वेतनमान के लिए काल्पनिक लाभ शामिल हों।

The controlling officers shall ensure that the Medical Officers who opted for **Institutional seniority at the time of absorption are granted** financial benefits of DACP from 01.06.2018 (wherever applicable) as per decision of Corporation taken in 174th meeting with notional benefits to the scale of SAG (Specialist) from the dates mentioned in the table against each name.

4. तालिका-ए में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 ने ईएसआईसी में आमेलन के समय संस्थागत वरिष्ठता का विकल्प चुना तथा क्रम संख्या 6, 10, 13 ने अखिल भारतीय वरिष्ठता का विकल्प चुना।

In the Table-A, Serial Number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 had opted Institutional seniority and Serial Number 6, 10, 13 opted All India seniority at the time of absorption in ESIC.

5. उपर उल्लेखित पैरा संख्या-4 के दिखाए गए विकल्प का उपयोग आमेलन के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया था। दिनांक 29/05/2018 की 174 वीं बैठक में कराबी निगम के अनुमोदन के पश्चात 01/06/2018 से सभी आमेलित चिकित्सा अधिकारी अखिल भारतीय वरिष्ठता से नियंत्रित होते हैं। आदेश में नामों के सामने वरिष्ठता विकल्प (आमेलन के समय) का उल्लेख करने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है, तथापि वेतन निर्धारण आदेश जारी करने से पूर्व, इसे नियंत्रक प्राधिकारी के स्तर पर उनके रिकॉर्ड के साथ सत्यापित भी किया जाए और किसी भी प्रकार के अंतर को मुख्यालय को सूचित किया जाए।

The above mentioned at Para No.4, option exercised by the Medical Officer at the time of absorption. Subsequent to ESI Corporation approval in its 174th meeting dated 29/05/2018, all absorbed Medical officers are deemed to be in the All India Seniority from 01/06/2018. Utmost care has been taken in mentioning seniority option

against the names in the order, however, it shall also be verified at the level of controlling authority with their records and any variation to be informed to Hqrs. Office, before issuing the pay fixation orders.

6. उपर्युक्त पदोन्नत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विशेषज्ञ) का वेतन सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत नियत किया जाएगा तथा पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर वेतन नियतन के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्त्त करेंगे।

The pay of the aforesaid Promoted SAG (Specialist) will be fixed as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and they shall exercise their option for fixation within one month from the date of promotion order.

यह पदोन्नति समय-समय पर संशोधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारीवृद एवं सेवा की शर्तों) विनियमावली,
2023 में निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होगी।

The promotion will be subject to such terms and conditions as laid down in ESI Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023, as amended from time to time.

 पदोन्नत विशेषज्ञ ग्रेड-I की उक्त सूची केवल वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विशेषज्ञ) के पद पर पदोन्नति आदेश है तथा किसी भी मामले में वरिष्ठता सुची नहीं है।

The said list of promoted Specialist Grade-I is only promotion order to the post of SAG (Specialist) and not seniority list in any case.

9. ज्वाइनिंग रिपोर्ट सभी संबंधितों को एक प्रति के साथ med4-hq@esic.nic.in, med6-hq@esic.nic.in एवं <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u> पर भेजी जायें।

Joining Report may be sent to all concerned with a copy to <u>med4-hq@esic.nic.in</u>, <u>med6-hq@esic.nic.in</u> & <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u>.

Digitally signed by Rajesh Prasad Gupta Date: 20-05-2025 15:23:15 (राजेश प्रसाद गुप्ता) सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ) (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि: (ESIC website के माध्यम से-आवश्यक कार्रवाई हेत्)

- 1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज।
- 3. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित,क.रा.बी.निगम अस्पताल।
- 4. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI
- 5. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।
- वेबसाइट कंटेट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।